न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 18/2016 (डूंगरपुर डिक्री)

रामचन्द्र पिता धरमा जोहियाला मीणा, निवासी मेताली एवं रोहनवाड़ा हाल निवासी फतेहपुरा, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. शंकर पिता लाला उर्फ लालजी मीणा, निवासी फतेहपुरा, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती तुलसी पुत्री लाला उर्फ लालजी मीणा, निवासी फतेहपुरा, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (मृतक) नाम हटाया गया
3. हुरमा पिता गंगाराम मीणा, निवासी काकरादास, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. श्रीमती रतन पुत्री दिता डामोर मीणा, निवासी फतेहपुरा, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (मृतक) नाम हटाया गया
5. सोमा पिता धूला मीणा, निवासी देवल फला रेहणा, तह. व जिला डूंगरपुर
6. गणेश पिता भगवान भोई, निवासी डूंगरपुर (मृतक) नाम हटाया गया
7. श्रीमती गोपलीबाई उर्फ सूर्यकान्ता पत्नी स्वर्गीय अमृतलाल भोई, निवासी डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
8. पंकज पिता स्व. अमृतलाल भोई, निवासी डूंगरपुर, तह0 व जिला डूंगरपुर
9. देवेन्द्र पिता स्व. अमृतलाल भोई, निवासी डूंगरपुर, तह0 व जिला डूंगरपुर
10. मांगीलाल पिता भगवान भोई, निवासी डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर
11. श्रीमती हिरकी पत्नी भगवान भोई, नि. डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर
12. श्रीमती गोपली पत्नी अमृतलाल भोई, नि. डूंगरपुर, तह. व जिला डूंगरपुर
13. श्रीमती भारती पत्नी मांगीाल भोई, नि0 डूंगरपुर, तह0 व जिला डूंगरपुर
14. राजू पुत्र भगवान भोई, निवासी डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
15. श्रीमती धुरी बेवा भगवान भोई, निवासी डूंगरपुर (मृतक) नाम हटाया गया
16. भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 18.06.2015, प्र.सं. 110/05

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री एस0 एल0 मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री एस0 एस0 मेहता अभि. 7 से 11, 13, 14
3— श्री प्रेमपुरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
4— श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16

———::———

निर्णय दिनांक 12—12—2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सुरेश के पिता लाला उर्फ लालजी पिता रूपा डामोर, शंकर पिता लाला उर्फ लालजी डामोर, श्रीमती तुलसी पुत्री लाला उर्फ लालजी डामोर एवं श्रीमती रतन पुत्री दिता पिता लखमा डामोर निवासी फतेहपुरा के खाते में दर्ज आराजी नंबर 270 की 60X40 फिट भूमि को 6000/— रूपये में वादी को विक्रय इकरार दिनांक 12—05—1980 को निष्पादित कब्जा सिपुर्द कर दिया। तत्पश्चात् इनके द्वारा एक रोडा मकान धुल कुटिया मय आंगन की भूमि 80X50 फिट भूमि को 6500/— रूपये में दिनांक 01—08—1980 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिनके खसरा नंबर 269 व 270 हैं। इस भूमि का विक्रय पत्र लिखा जाकर उप पंजीयक कार्यालय डूंगरपुर से पंजीयन करवा कब्जा सिपुर्द कर दिया तथा दिता पिता लखमा, प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश के पिता धूला एवं प्रतिवादी संख्या 2 शंकर के रूपयों की आवश्यकता होने से शेष बची भूमि वादी को दिनांक 30—08—1984 को 10000/— रूपये में विक्रय कर दिया तब से ही वादी मकान बनाकर इस भूमि पर काबिज है। खातेदार द्वारा भूमि विक्रय करने के उपरान्त भी श्रीमती रतन पुत्री दीता ने प्रतिवादी संख्या 4 हुरमा को खसरा नंबर 270/1 की 12 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा विक्रय कर दिया तथा 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 सोमा

को विक्रय कर दिया, जबकि प्रथम विक्रय वादी को किये जाने से प्रतिवादी द्वारा दुबारा इन्हीं भूमियों का विक्रय नहीं किया जा सकता तथा विक्रय वादी के मुकाबले शून्य है। वादी की खरीद शुदा भूमि से प्रतिवादी संख्या 7 से 14 का कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रतिवादीगण वादी की खरीद शुदा भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने पर उतारू हैं, जिससे उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा वादी को आराजी नंबर 269, 270 व 270/1 का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. क्या ग्राम फतेहपुरा की आराजी नंबर 269 एवं 270 वादी द्वारा खरीद कर लेने से बाद में इन्हीं भूमियों के सन्दर्भ में किये गये विक्रय शून्य है तथा वादी खातेदारी घोषणा का अधिकारी है ? ..... वादी
2. क्या भूमि पैत्रृक होने से प्रतिवादी संख्या 1 के जन्म के बाद किये गये विक्रय शून्य हैं ? ..... प्रतिवादी
3. अनुतोष क्या होगा ?
4. आया उक्त वाद वादकरण के अभाव में चलने योग्य हैं ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 18–06–2016 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11–03–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी 75 वर्ष का होकर अक्सर बीमार रहता है तथा निर्णय की सूचना वकील ने नहीं दी। पता करने पर मालूम हुआ कि उक्त फैसला 20–25 दिन पहले हो गया जिस पर प्रतिलिपि प्राप्त कर स्वास्थ्य ठीक होने पर अपील प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–06–2015 को अपीलान्ट/वादी के अधिवक्ता उपस्थित थे, परन्तु अपील दिनांक

11–03–2016 को अर्थात 2 माह की मयाद के 7 माह बाद पेश हुई है, जिसके लिए जो कारण बताया है कि वकील द्वारा सूचना नहीं दी गयी तथा 20–25 दिन पूर्व ही उन्हें जानकारी हुई है। वकील से सम्पर्क करने का दायित्व अपीलान्ट/वादी का था। निर्णय के 9 माह बाद अर्थात मयाद गुजरने के 7 माह बाद यह अपील पेश किये जाने के लिए कोई ठोस एवं औचित्यपूर्ण कारण नहीं बताये हैं। अतएवं प्रथम दृष्टया अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 11, 13 व 14 की ओर से वकील श्री सज्जनसिंह मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री प्रेमपुरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 4, 6 की मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध उनकी तलबी से क्षम्य किये जाने का आदेश दिनांक 31–01–2017 को दिया गया। अन्य रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट 16 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

प्रकरण हालांकि बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है, फिर भी गुणावगुण के दृष्टिकोण से गुणावगुण पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि उनके द्वारा प्रस्तुत इकरारनामे को अधिनस्थ न्यायालय ने मान्यता नहीं दी है, जो त्रुटि पूर्ण हैं। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि राजस्व न्यायालय द्वारा इकरारनामे के आधार पर किसी का स्वत्व माने जाने का कोई विधिक महत्व नहीं है। इकरारनामे के आधार पर संविदा निस्पादन का दावा अपीलान्ट/वादी को सक्षम सिविल न्यायालय में करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

रामचन्द्र पिता धरमा जोहियाला मीणा बनाम **शंकर पिता लाला उर्फ लालजी मीणा**
निवासी मेताली एवं रोहनवाड़ा, हाल निवासी फतेहपुरा, डूंगरपुर व अन्य
निवासी फतेहपुरा, डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....**18/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**.....माह.....**.12**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री एस.एल. मेघवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एस.एस. मेहता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**.12**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।